रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 2017/श्रावण 9, 1939
No. 302] NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 2017/SRAVANA 9, 1939

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2017

आधार (नामांकन और अद्यतन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2017
(2017 का संख्या 5)

सं. 13012/79/2017/विधि–यूआईडीएआई (2017 का संख्या 5).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 54 की उप–धारा (2) के उप–खंड (एन), और (एस) तथा उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्द्वारा आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 2), समय समय पर यथा संशोधित, में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

(1) इन विनियमों को आधार (नामांकन और अद्यतन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं. 5) कहा जाएगा।

(2) ये विनियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 26 (3) (2016 का सं. 2), समय समय पर यथासंशोधित, में संशोधन.—

(1) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 2), समय–समय पर यथासंशोधित, के लिए निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"(3) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अन्य कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, रजिस्ट्रार या नामांकन एजेंसी या किसी भी सेवा प्रदाता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी विनियम, प्रक्रिया, मानक, दिशानिर्देश या आदेश का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण द्वारा ऐसे रजिस्ट्रार या नामांकन एजेंसी या सेवा प्रदाता या संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों को तत्काल निलंबित किया जा सकता है और उचित जाँच के पश्चात् प्राधिकरण ऐसे रजिस्ट्रार या नामांकन एजेंसी या सेवा प्रदाता या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध वित्तीय दण्डात्मक कार्रवाई करने और अधिनियम या इन विनियमों के अनुसरण में जारी किए गए क्रेडेंशियल्स, कोड और अनुमतियों को रद्द करने का कदम उठा सकता है या अन्य कोई कार्रवाई की जा सकती है, जो प्राधिकरण के साथ जुड़ने की शर्तें में विशेष रूप से उल्लिखित है।"

डॉ. अजय भूषण पांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./167/17]

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2017

AADHAAR (ENROLMENT AND UPDATE) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2017 (No. 5 of 2017)

No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 5 of 2017).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-clause (n) and (s) of sub-section (2) of Section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (No. 2 of 2016), as amended from time to time, namely:—

1. Short title and commencement.—

(1) These regulations may be called the Aadhaar (Enrolment and Update) (Fourth Amendment) Regulations, 2017 (No. 5 of 2017).

(2) These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 26 (3) of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (No. 2 of 2016), as amended from time to time.—

(1) For Regulation 26 (3) of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (No. 2 of 2016), as amended from time to time, the following regulation shall be substituted, namely:—

"(3) Without prejudice to any other action which may be taken under the Act, for violation of any regulation, process, standard, guideline or order, by a Registrar or Enrolment Agency or any service provider or any other person, the Authority may immediately suspend the activities of such a Registrar or Enrolment Agency or service provider or concerned person, and after holding due enquiry, it may take steps for imposition of financial disincentives on such a Registrar or Enrolment Agency or service provider or any other person and for cancellation of the credentials, codes and permissions issued to them pursuant to the Act or these regulations, or any other steps as may be specifically provided for in the terms of engagement with the Authority.**"**

Dr. AJAY BHUSHAN PANDEY, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./167/17]

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.07.31 18:02:41 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.